"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2015—ज्येष्ठ 15, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 9-7/2013/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-07-2013 द्वारा श्री डी. के. गुप्ता, उप महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार सेवा, सी.जी.एम.टी. सी.जी. सर्कल, रायपुर की सेवाएं भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, उन्हें संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग पदस्थ किया गया है.

2. भारत सरकार दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10-04-2015 में छत्तीसगढ़ मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री गुप्ता का चयन निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली में होने से उन्हें नवीन पदस्थापना हेतु तत्काल भारमुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

3. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 01-07-2013 के अनुक्रम में श्री डी. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग) की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए भारत सरकार, दूरसंचार मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10-04-2015 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-10/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री पी. एस. गौतम, भापुसे (1999), पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 25-04-2015 से 23-05-2015 तक (कुल 29 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 24-05-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गौतम, आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गौतम को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. गौतम, भापुसे (1999), अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री गौतम की अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग के पद का प्रभार, श्री बी. पी. पौषार्य, भापुसे (1998), पुलिस उप महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2015

क्रमांक एफ-1-03/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अजय कुमार यादव, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बस्तर को दिनांक 12-05-2015 से 23-05-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 24-05-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यादव, आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बस्तर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव, भापुसे (2004), अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री यादव की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बस्तर के पद का प्रभार श्री जे. एस. वट्टी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी. जगदलपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2015

क्रमांक एफ 1-38/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, (भापुसे-टीएन 2000) उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय रायपुर को दिनांक 11-05-2015 से 30-05-2015 (20 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10 तथा 31 मई 2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती मिश्रा आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती मिश्रा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक एफ-1-51/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-10-2014 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-01-2015 द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश के अनुक्रम में श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008) को दिनांक 03-05-2015 से 01-07-2015 तक कुल 60 दिवस के Child Care Leave की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश काल में श्रीमती पारूल माथुर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

3. श्रीमती माथुर की अवकाश अवधि में उनके वेतन/भत्ते अवकाश रक्षित पद के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय, रायपुर द्वारा आहरित किया जाकर भुगतान किया जावेगा.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2004) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 1113/811/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. के. उपाध्याय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वि./यो.), रायपुर को दिनांक 18-05-2015 से 23-05-2015 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 16-17 तथा 24 मई 2015 के राजपत्रित अवकाश के साथ अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उपाध्याय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वि./यो.), रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री उपाध्याय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2015

क्रमांक एफ 7-16/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. के. भट्ट, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर को दिनांक 11-05-2015 से 18-05-2015 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 09-10 मई 2015 का पूर्ववर्ती राजपत्रित अवकाश की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भट्ट, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री भट्ट को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2015

क्रमांक एफ 7-18/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ओ. पी. यादव, संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर को दिनांक 18-05-2015 से 17-06-2015 तक कुल 31 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यादव संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2015

क्रमांक एफ 7-19/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक जुनेजा, भापुसे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 25-05-2015 से 30-05-2015 तक कुल 6 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 24-05-2015 एवं दिनांक 31-05-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जुनेजा, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जुनेजा को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक जुनेजा, भापुसे (1989) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2015

क्रमांक एफ 1-27/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अंकित गर्ग, सेनानी, 2री वाहिनी, संकरी, बिलासपुर को दिनांक 11-05-2015 से 23-05-2015 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही दिनांक 09-05-2015 एवं 10-05-2015 के शासकीय अवकाश के उपभोग की अनुमति तथा उक्त अर्जित अवकाश में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक/11019/06/2001-AIS-III दिनांक 05-12-2007 में निहित शर्तों के अनुसार काठमांडू (नेपाल) विदेश प्रवास की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री अंकित गर्ग को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित गर्ग अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. श्री अंकित गर्ग के अवकाश अवधि में सेनानी, 2री वाहिनी, संकरी, बिलासपुर के पद का प्रभार श्री कारलूस लकड़ा, उपसेनानी, 2री वाहिनी, संकरी, बिलासपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2015

क्रमांक एफ 1-49/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विआशा./ नक्सल आपरेशन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 25-05-2015 से 06-06-2015 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही दिनांक 24-05-2015 एवं दिनांक 07-06-2015 के शासकीय अवकाश के उपभोग की अनुमति तथा उक्त अर्जित अवकाश में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक/11019/06/2001-AIS-III दिनांक 05-12-2007 में निहित शर्तों के अनुसार स्वयं के व्यय पर सिंगापुर एवं हांगकांग विदेश प्रवास की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में डॉ. आनंद छाबड़ा को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आनंद छाबड़ा अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. डॉ. आनंद छाबड़ा के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, विआशा./नक्सल आपरेशन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद का प्रभार श्रीमती नीथू कमल, पुलिस अधीक्षक, विआशा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2015

क्रमांक एफ 7-29/2014/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री इमोतेमसु आओ, वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमंडल, पेन्ड्रारोड को दिनांक 18-05-2015 से 30-05-2015 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 16-17 तथा 31 मई 2015 के पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश स्वीकृत करते हुए अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आओ, वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमंडल, पेन्ड्रारोड के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आओ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आओ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक एफ 7-21/2015/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पी. अरूण प्रसाद, वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव को दिनांक 18-05-2015 से 30-05-2015 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 16-17 तथा 31 मई 2015 के राजपत्रित अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसाद, वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रसाद को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2015

क्रमांक ई 7-11/2007/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से., प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को दिनांक 18-05-2015 से दिनांक 29-05-2015 तक (12 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. श्री एस. भारतीदासन के उक्त अवकाश अवधि में श्री अविनाश चम्पावत, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 2-6/2014/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय सेवा के श्री पारसनाथ राम, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2015

शुद्धि पत्र

क्रमांक 893/224/अव./2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 135-135/224/2010/1-8/स्था. दिनांक 20-03-2015 द्वारा श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 23-02-2015 से 16-3-2015 तक स्वीकृत 22 दिवस के अर्जित अवकाश के स्थान पर लघुकृत अवकाश पढ़ा जावे.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2015

क्रमांक 240/1911/2014/1-8/स्था.—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा नियुक्त), मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 30-05-2015 से 10-06-2015 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिसोदिया, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिसोदिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिसोदिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2015

क्रमांक 260/467/2015/1-8/स्था.—डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 19-05-2015 से 29-05-2015 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सुरेन्द्र दुबे, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति एवं पर्यटन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में डॉ. सुरेन्द्र दुबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुरेन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2015

क्रमांक 262/1669/2013/1-8/स्था.—श्री आर. के. टंडन, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 25-05-2015 से 12-06-2015 तक 19 दिवस का (दिनांक 24-05-2015 एवं 13, 14-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टंडन, आगामी आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. के. टंडन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. टंडन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2015

क्रमांक 266/2089/2012/1-8/स्था.—श्री आलोक कुमार राय, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 12-05-2015 से 23-05-2015 तक 12 दिवस का (दिनांक 24-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार राय आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आलोक कुमार राय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2015

क्रमांक 268/940/2014/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 25-04-2015 से 02-05-2015 तक 08 दिवस का (दिनांक 03, 04-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2015

क्रमांक 274/242/अव./2003/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 11-05-2015 से 15-05-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 09, 10, 16, 17-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 276/224/2010/1-8/स्था.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 04-04-2015 से 13-04-2015 तक 10 दिवस का (दिनांक 02, 03, 14-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार जोशी आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुनीत कुमार जोशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुनीत कुमार जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 278/393/2014/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 01-06-2015 से 06-06-2015 तक 06 दिवस का (दिनांक 31-05-2015 एवं 07-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रदीप कुमार दवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप कुमार दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 280/01/2011/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18-05-2015 से 23-05-2015 तक 06 दिवस का (दिनांक 16,17, 24-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कमर अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2015

क्रमांक 284/516/2015/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार भटनागर, उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 18-05-2015 से 23-05-2015 तक 06 दिवस का (दिनांक 16, 17, 24-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार भटनागर आगामी आदेश तक उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रदीप कुमार भटनागर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप कुमार भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 12th May 2015

No. 4420/1202/XXI-B/C.G./2015.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub-rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the Recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Smt. Shobhna Koshta W/o Shri C.S. Koshta (Category-Unreserved Merit No. 04) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 12th May 2015

No. 4422/1209/XXI-B/C.G./2015.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub-rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the Recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Prashant Parashar S/o Shri A. N. Parashar (Category-Unreserved Merit No. 01) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 12th May 2015

No. 4424/1243/XXI-B/C.G./2015.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub-rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the Recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Davender Kumar S/o Shri Om Parkash (Category-Unreserved Merit No. 03) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 12th May 2015

No. 4426/1291/XXI-B/C.G./2015.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub-rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the Recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Vijay Kumar Minj S/o Shri Bhola Prasad Minj (Category-ST Merit No. 06) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 12th May 2015

No. 4428/1314/XXI-B/C.G./2015.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub-rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the Recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Deepak Kumar Deshlhre S/o Shri Fooldas Deshlhre (Category-SC Merit No. 05) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 12th May 2015

No. 4430/1326/XXI-B/C.G./2015.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub-rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the Recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Arvind Kumar S/o Shri Jai Mangal Singh (Category-Unreserved Merit No. 02) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	खण्डसरा प.ह. नं. 03	0.02	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	खण्डसरा-सोरगांव मार्ग के कि.मी. 1/6 पर कोसारटेडा नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	कुड़कानार प.ह. नं. 36	1.21	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	घाटपदमुर - कुड़कानार मार्ग के कि.मी. 2/8 पर इंद्रावती नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	पराली प.ह. नं. 21	0.24	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	ठाकरागुड़ा - छापर-भानपुरी से बड़े चकवा मार्ग के कि.मी. 2/2 से 2/4 पर इन्द्रावती नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	ककनार प.ह. नं. 1	0.04	पुलिस अधीक्षक, बस्तर जिला-जगदलपुर.	पुलिस चौकी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/पुलिस अधीक्षक बस्तर जिला जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	केशरपाल प.ह. नं. 04	0.05	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	केशरपाल-नंदपुरा मार्ग के कि.मी. 1/2 पर मारकण्डी नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	नंदपुरा प.ह. नं. 06	0.19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	केशरपाल-नंदपुरा मार्ग के कि.मी. 1/2 पर मारकण्डी नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	चित्रकोट	0.87	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	चित्रकोट-टेमरगांव मार्ग के कि.मी. 1/8 पर इंद्रावती नदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	मांदर प.ह.नं. 11	0.12	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	गढ़िया आंजेर मार्ग के कि.मी. 17/6 पर मांढेर नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	करकापाल प.ह.नं. 09	0.19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	करकापाल - पोड़ागुड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 गोरियाबहार नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	पण्डरीपानी	0.28	उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे डी. आर. एस. आफिस काम्पलेक्स डोन्डापरती विशाखा-पटनम, 530004 (A-P-)	जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन बिछाने हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	परपा प.ह.नं. 13	0.08	उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे डी. आर. एस. आफिस काम्पलेक्स डोन्डापरती विशाखा-पटनम, 530004 (A-P-)	जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन बिछाने हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 11 मई 2015

क्रमांक/01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	श्रीरामनगर कांकेर	4.146	अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर.	अटल बिहार योजना अंतर्गत आवासीय भवन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक/भू-अर्जन/2015 प्र.क्र. 11 अ/82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	दशरमा प.ह.नं. 18	8.039	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.)	बलौदाबाजार बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मुंगेली, (छ.ग.)

मुंगेली, दिनांक 19 मार्च 2015

क्रमांक/144/खलि-02/2015.—गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत उत्खनिपट्टा के संबंधित क्षेत्र खुला घोषित किया जाना है.

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा क्रमांक	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्री तेजिन्दर सिंह भाटिया आत्मज श्री अमोलक सिंह भाटिया, निवासी-दयालबंद, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	बड़ियाडीह	पथरिया	79/1	1.15	चूनापत्थर	निजी भूमि	उत्खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण

टीप :— पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल/वायु सम्मति संबंधित विभाग से लिया जाना अनिवार्य है.

संजय अलंग,
कलेक्टर.

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी), रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 15 मई 2015

क्रमांक/आब./बकाया/2015/1718.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, कि आबकारी विभाग जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादारों से उनके नाम के सामने दर्शायी गई राशि की वसूली की जाना है. अतः उनकी चल/अचल संपत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	रा.मा.क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	10 बी/96/2003-04	श्री कृष्ण कुमार उज्जवने वल्द नारायण राव साकिन सूर्यवंशी कृषि फार्म भाठागांव जिला रायपुर	विदेशी मदिरा दुकान गुढ़ियारी/गोगांव, रायपुर की ड्यूटी अंतर राशि	2003-04	2611185
2.	7 बी/96/2003-04	श्री अमित छाबड़ा वल्द हेमराज छाबड़ा साकिन ए.सी.सी. रावणभाठा जामुल नगर जिला दुर्ग	विदेशी मदिरा दुकान टिकरापारा, रायपुर की ड्यूटी अंतर राशि	2002-03	4721489

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	8 बी/96/2003-04	श्री देवेन्द्र महतो वल्द कन्हाई साकिन साहूपारा फाफाडीह रायपुर	विदेशी मदिरा दुकान खरोरा की ड्यूटी अंतर की राशि	2002-03	1194293
4.	1 बी/96/2004-05	श्री विवेक महर्षि वल्द जगदीश चन्द्र महर्षि आदिश्वर काम्पलेक्स रामसागरपारा, रायपुर	केबल मनोरंजन शुल्क	2004-05 (01-08-2004 से 19-11-2004)	178720

आशीष श्रीवास्तव,
अति. तहसीलदार (आबकारी).